WWW.APMA.BIZ

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/111 दिनांक : 03 जुलाई, 2017

''30 जून का बंद, पूर्ण सफल''

व्यापारी भाईयो,

'अपमा' ने DMTA, AGTW और करोलबाग फैडरेशन के साथ मिलकर 30 जून को बंद का आह्वान किया था। ये बंद GST के जटिल प्रावधानों और ट्रैक्टर्स पार्ट्स, स्कूटर पार्ट्स तथा मोटर पार्ट्स पर 28 प्रतिशत GST की दर के विरूद्ध था। व्यापारी भाईयों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर धरने, प्रदर्शन में भारी संख्या में भाग लिया, और हम सभी सरकार तक अपनी समस्यायें पहुँचाने में कामयाव रहे। आशा है आप सभी का आगे भी इसी प्रकार सहयोग मिलता रहेगा।

साथियो, अपमा प्रधान एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य आप सभी व्यापारी भाईयों के अपार सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करना चाहती है कि 30 जून का बंद, आप सभी के सहयोग से पूर्ण रूप से सफल रहा है। इस सबके लिए आप सभी व्यापारी भाई बधाई एवं धन्यवाद के पात्र हैं। आपने अपनी एकता और अपनी संस्था 'अपमा' के प्रति पूर्ण निष्ठा का प्रदर्शन किया।

आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप सरकार ने ट्रेक्टर पार्टस पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत घोषित कर दी है। इस सबके लिए सभी व्यापारियों को पुनः बधाई।

दोस्तो, व्यापार हित में मोटर पार्टस, स्कूटर पार्टस पर जीएसटी की दरें कम करवाने के लिए भी हमारा बराबर प्रयत्न एवं संघर्ष जारी है।

कृ0प0उ0.......2

अपमा® AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION (Regd.) Estd. 1965

WWW.APMA.BIZ

सरकूलर नं0 अपमा / 2016–18 / 112

'' ट्रेड लाईसेंस कैम्प का आयोजन''

जैसा कि आप सभी व्यापारी भाईयों अपमा सरकूलर के माध्यम से कई बार सूचित किया था कि DMC Act कि धारा 417 के तहत बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यापार करना प्रतिबंधित है, इसलिए ट्रेड लाईसेंस अवश्य बनवा लें। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने सूचना दी है कि जिन व्यापारियों ने ट्रेड लाईसेंस नहीं बनवायें है उनके चालान काटे जाएगें।

साथियों, **अपमा के अथक प्रयास एवं दिल्ली नगर निगम के सहयोग से दिनांक 3–7–2017 से लेकर 20–7–2017 को सुबह 11.00 बजे से लेकर सायं 4.00 बजे तक अपमा कार्यालय में टड लाईसेंस बनवाने हेतु कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।** इस कैम्प में ट्रेड लाईसेंस बनवाने हेतु दिल्ली नगर निगम के अधिकारीगण मौजूद रहेगें। अतः जिन व्यापारी भाईयों ने ट्रेड लाईसेंस नहीं बनवाये है उनसे अनुरोध है कि ट्रेड लाईसेंस हेतु निम्नलिखित दस्तावेज तैयार कर ले तथा अपमा कार्यालय में आकर अपना ट्रेड लाईसेंस की प्रक्रिया पूर्ण कर अपना ट्रेड लाईसेंस बनवा लेंवें।

01. आधार कार्ड की फोटोकापी
02. आवदेक की फोटो एवं दुकान की फोटो
03. दुकान / प्रतिष्ठान का हाथ से बनाया हुआ नक्शा, Key Plan
04. किराये की रसोद
05. दुकान की रजिस्ट्री की कापी
06. बिजली बिल की कापी
07. Affidavit in Prescribed Formats.
08. Structure Safety Certificate(if Required)

साथियों, जिन व्यापारी भाईयों की दुकान / प्रतिष्ठान कई वर्ष पुरानी है तथा 20 मीटर क्षेत्रफल से कम है उनको प्रति वर्ष 500 / – रूपये के हिसाब से 6 साल का शुल्क एक बार में ही जमा करवाना होगा यानि कि 500x6= 3000 / – रूपये तथा जो दुकाने / प्रतिष्ठान एक वर्ष पहले की है उनको 500x3= 1500 / – राशि का एक **Demand Draft(D.D.) "Commissioner, North DMC License Fees A/C** के नाम का देना है इसके अलावा दूसरा **Demand Draft(D.D.) "Commissioner, North DMC License Processing Fee A/C"** के नाम 914 / – रूपये का देना है। आपसे निवदेन है कि ट्रेड लाईसेंस बनवाने हेतु नगदी का बिल्कुल लेन–देन न करें।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि अपमा कार्यालय में आयोजित कैम्प में आकर अपना ट्रेड लाईसेंस अवश्व बनवा लेंवे अन्यथा दिल्ली नगर निगम के अधिकारीगण मार्किट में आकर चालान कर सकते है।

(विष्णु भार्गव)
महासचिव